**Traders registered with Tobacco Board**

1498. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) what is the number of traders registered with the Tobacco Board;

(b) what are their total bank limits; and

(c) what is the total quantity contracted by them to export as well as to supply to the cigarette manufacturers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) Total number of Traders Registered with the Board for 1993 as on 30-4-93 is 927.

(b) Details of bank limits enjoyed by the above said traders are not readily available. However, the amounts of Bank Guarantee/Letter of Standing Instructions submitted by the traders towards purchase of tobacco from the Auction floors have totalled to Rs. 196 crores as on 4-5-1993.

(c) According to the information gathered from the trade, contracts signed so far for FCV tobacco this year amounted to approximately 8000 tonnes. No dealer/exporter have informed the Board the quantities contracted by them for supplying to the cigarette manufacturers.

**निर्यात की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किसानों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु विधेयक**

1499. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यात उत्पादों की उच्च कोटि को बनाए रखने के उद्देश्य से "एपीडा" द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों के निर्यात से उपकर के रूप में प्राप्त धनराशि को "एपीडा" के ही माध्यम से संबंधित किसानों, बागवानों तथा व्यापारियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए संसद में एक विनियोग विधेयक लाने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद)** : (क) से (ग) कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद उपकर अधिनियम, 1985 (1986 का 3) के अंतर्गत, सीमा शुल्क से प्राप्त आय को पहले भारत की समेकित निधि में डाला जाएगा और यदि संसद इस संबंध में कानून द्वारा किये गए विनियोग के जरिये ऐसा प्रावधान कर दे तो केन्द्रीय सरकार वसूली पर हुए व्यय को घटाकर उस आय का भुगतान समय-समय पर उक्त प्राधिकरण को कर सकेगी जिस धनराशि को सरकार उचित समझे कि उसका उपयोग एपीडा अधिनियम, 1985 के उद्देश्यों के लिए किया जाना उचित है। वर्ष 1993-94 के लिए बजट प्राक्कलन 1993-94 में एपीडा के लिए 623 लाख रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

**चीनी का निर्यात**

1500. **श्रीमती सुषमा स्वराज** :
**श्री श्री राम जेठमलानी** :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों से देश में आर्थिक मोर्चे में घाटा होने के बावजूद चीनी का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पेराई के पिछले दो मौसमों अर्थात् 1990-91 और 1991-92 के दौरान चीनी की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया तथा वर्षवार कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त वर्षों में चीनी के निर्यात के लिए एकाधिकार क्षेत्र जिम्मेदार है;

(घ) यदि हां, तो चीनी का निर्यात करने वाली उन संस्थानों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक द्वारा चीनी की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(ङ) क्या यह भी सच है कि पेराई वर्ष 1992-93 के दौरान विश्व में चीनी के उत्पादन में भारी गिरावट आई है;